23-1-16 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~अन्य पर है/~~अवकाश पर हैं/~~अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-1-16
को पेश हो।

रीडर

18-1-16 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 14-3-16 को पेश हो।

14-3-16 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~अन्य पर है/~~अवकाश पर हैं/~~अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-5-16
को पेश हो।

रीडर

2-5-16 वकील उभयपक्ष उप० है वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 20-6-16 को पेश हो। | 3378-81 / 8-6-16

2-6-16 पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रा० दि० 14-6-16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खेड़ा बाढ़ग्राम 16 पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

14-6-2016 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी कजोड़मल, प्रतिवादी बाबूलाल, हरीलाल उपस्थित है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि सैटिलमेन्ट से पूर्व हमारी खातेदारी की श्रीकिशन पुत्र गणेश व प्रतापा पुत्र मुकन्द के नाम हि० बराबर $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ दर्ज थी परन्तु सेटिलमेन्ट में गलत रूप से खातेदारी श्रीकिशन, गणेश, प्रताप पि० मुकन्दा दर्ज कर दिया जबकि श्रीकिशन, गणेश का पुत्र है इसलिए खातेदारी में श्रीकिशन पुत्र गणेश व प्रतापा पुत्र मुकन्दा करके दुरुस्ती कर दी जावे। साथ ही प्रतापा ने अपने

कजोड़मल
बाबूलाल
हरिलाल

... तथा $\frac{1}{6}$ हिस्सा छोरया, बाला, गिर्राज, लक्ष्मण पुत्रान सुआ को विक्रय कर दिया उक्त भूमि प्रतापा के हि० $\frac{1}{2}$ में से कम कर दिया जावे तथा विवादित भूमि मे वादीगण का हि० $\frac{1}{6}$ व प्रति० का हि० $\frac{1}{2}$ दर्ज कर दिया जावे। वादी नं० 2 ने अपने भाई से उक्त राजीनामे की सहमति अपने भाई प्रति० सं० 1 से मोबाइल पर बात कर प्राप्त कर ली है तथा उसके पुत्र ने सहमति के हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।

प्रस्तुत राजीनामे का व अभिलेख का अवलोकन किया गया। सं० 2019 की नकल जमाबंदी के अनुसार ख० नं० 33 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा ग्राम खेड़ाकाढ़रामगढ़ श्रीकिशन पुत्र गणेश प्रतापा पुत्र मुकन्दा रैबारी की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके नवीन नम्बर $\frac{355}{0.75}$, $\frac{356}{0.05}$, $\frac{357}{0.48}$, $\frac{358}{0.24}$, $\frac{360}{0.07}$, $\frac{362}{0.49}$, $\frac{364}{0.28}$, $\frac{365}{0.09}$, $\frac{366}{0.30}$, $\frac{372}{0.17}$, $\frac{373}{0.55}$, $\frac{377}{0.23}$, $\frac{391}{0.02}$, $\frac{392}{0.10}$, $\frac{418/521}{0.07}$, $\frac{419}{0.06}$, $\frac{420}{0.17}$, $\frac{421}{0.14}$ बने हैं जो जमाबंदी सं० 2049 से 2052 में श्रीकिशन, गणेश, प्रताप पि० मुकन्दा के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी सं० 2069 से 2072 में यह भूमि श्रीकिशन, गणेश पि० मुकन्दा हि० $\frac{2}{3}$, राजाराम हरीसिंह पि० मोडू, पावूदान पुत्र हरीसिंह ~~पि० मोडू~~ हि० $\frac{1}{6}$, छोटया बाला गिर्राज लक्ष्मण पि० सुआ हि० $\frac{1}{6}$ के नाम दर्ज है।

साबिक अभिलेख के अनुसार उपरोक्त भूमि में श्रीकिशन पुत्र मुकन्दा का $\frac{1}{2}$ हिस्सा व प्रतापा पुत्र मुकन्दा का $\frac{1}{2}$ हिस्सा रहा है। राजीनामा के अनुसार प्रतापा ने अपने $\frac{1}{2}$ हिस्से में से $\frac{1}{6}$ हिस्सा राजाराम हरीसिंह पि० मोडू व पावूदान पुत्र हरीसिंह को तथा $\frac{1}{6}$ हिस्सा छोरया बाला गिर्राज लक्ष्मण पि० सुआ

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को विक्रय कर दिया है एवं इन खरीददारों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज भी हो चुका है। इस प्रकार अब प्रतापा के $\frac{1}{2}$ हिस्से में विक्रित भूमि $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$ के बाद $\frac{1}{6}$ और शेष रहती है जिसकी खातेदारी प्रतापा के नाम नियमानुसार दर्ज की जा सकती है। प्रतापा का निधन हो चुका है अतः अब उसके स्थान पर दावे में पक्षकार उसके पुत्र शम्भू व कजोड प्रतापा के हिस्से की शेष भूमि $\frac{1}{6}$ अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।	
	अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर भूमि ख०नं० 355, 356, 357, 358, 360, 362, 364, 365, 366, 372, 373, 377, 391, 392, $\frac{418}{521}$, 419, 420, 421 ग्राम खेडाबाद की जमाबंदी (सम्वत) में दर्ज प्रविष्टि श्रीकिशन गणेश पि० मुकन्दा हि० $\frac{2}{3}$ के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र मुकन्दा हि० $\frac{1}{2}$, शम्भू, कजोड पि० प्रतापा हि० $\frac{1}{6}$ प्रविष्टि अंकित करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त नम्बरो में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(मनीष कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढरामगढ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

प्रतापा उर्फ प्रताप पुत्र मुकन्दा, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी मृतक
1/1 शम्भू पुत्र प्रतापा, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी
1/2 कजोड पुत्र प्रतापा, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र श्रीकिशन, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुरसिटी
2. बाबूलाल पुत्र श्रीकिशन, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी
3. हरलाल पुत्र श्रीकिशन, रैबारी निवासी खेडाबाढरामगढ तह0 गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 125/2008

वादी की ओर से वादी कजोड वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी बाबूलाल, हरलाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निस्तारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 355, 356, 357, 358, 360, 362, 364, 365, 366, 372, 373, 377, 391, 392, 418/521, 419, 420, 421 ग्राम खेडाबाढरामगढ की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि श्रीकिशन गणेश पि0 मुकन्दा हि0 2/3 के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र मुकन्दा हि0 1/2, शम्भू, कजोड पि0 प्रतापा हि0 1/6 प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश किया जाता है। इन नम्बरो मे अन्य प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगां। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 14.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ________रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	